

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-87-PM9/5

New Delhi, dated 23.11.87.

The General Secretary,
All India Railwaymen's Federation,
4, State Entry Road,
New Delhi.

The General Secretary,
National Federation of Indian Railwaymen,
3, Chelmsford Road,
New Delhi.

Dear Sirs,

Subject:- Pay - Accounts Department - qualified
Clerks Gr.II.

I am directed to refer to Item No.D-24 of the Minutes of the Departmental Council Meeting under the JCM held on 18/19.6.87 on the above subject and to state that the matter has since been considered.

2. As regards the Staff Side Demand for modification of orders contained in Board's letter No.PC-III-78/UPG/8 dated 16.5.80 with a view to providing that direct recruitment in the grade of Junior Accounts Assistants in scale Rs.1200-2040 (formerly CG-I) will be made only if the Appendix-II qualified Clerks Gr.II in scale Rs.260-400/950-1500 are not available for promotion, it may be stated that a system of a prescribed percentage for promotion of CG-II as CG-I (since redesignated as Junior Accounts Assistants) has been in vogue for more than two decades now. Further it will be recalled that the Accounts Cadre was restructured in Board's letter dated 16.5.80 in consultation with the Staff Side in the Departmental Council of the Ministry of Railways under the JCM. With further restructuring of Accounts Cadre, in which, posts in scale Rs.1200-2040 and Rs.1400-2600 have been distributed in the ratio of 20:80, chances of promotion of staff in the lower grades have improved considerably. The restructured pattern of the Cadres including the improvements in scales brought about recently, justifies the existing percentage prescribed for direct recruitment of CG-I. In these circumstances, it will not be possible to accede to the staff side demand for modification of orders contained in Board's letter dated 16.5.80.

...Contd. on pg. 2...

भारत सरकार
रेल. मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० ई(एन जी)/1-87-पी एम 9/5

नयी दिल्ली, दिनांक 23-11-87

जनरल सेक्रेटरी,
आस एंडिया रेलवे मंच फेडरेशन,
4, स्टेट स्ट्रीट रोड,
नयी दिल्ली ।

जनरल सेक्रेटरी,
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मंच,
3- चेम्सफोर्ड रोड,
नयी दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

विषय :- वेतन लेखा विभाग - अर्हता प्राप्त लिपिक ग्रेड-11.


मुझे उपर्युक्त विषय पर संयुक्त वार्तातंत्र के अधीन विभागीय परिषद की 18/19-6-87 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की मं० सं० डी-24 का हवाला देने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मामले पर विचार किया गया है ।

2. जहाँ तक बोर्ड के 16-5-80 के पत्र सं० पीसी-111-78/यूपीजी/8 में अंतर्विष्ट आदेशों की आशीर्षित करने के लिए कर्मचारी पक्ष की माँग का सम्बन्ध है जिससे 1200-2040 ₹ (पूर्ववर्ती लि० ग्रे० 1) के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा सहायकों के ग्रेड में सीधी भर्ती केवल तभी की जायेगी यदि 260-400 / 950-1500 ₹ के वेतनमान में अपेडिक्स 11 में अर्हता प्राप्त लिपिक ग्रेड 11 पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों । यह उल्लेखनीय है कि लि० ग्रे० 11 को लि० ग्रे० 1 (अब कनिष्ठ लेखा सहायकों के स्तर में पुनः पदनामित) के स्तर में पदोन्नति के लिए एक निर्धारित प्रतिशत की प्रणाली अब से दो दशकों से भी अधिक पुरानी से प्रचलित है । इसके अलावा यह भी स्पष्ट होगा कि लेखा सर्वगों की पुनर्संरचना संयुक्त वार्तातंत्र के अधीन रेल मंत्रालय की विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष के परामर्श से बोर्ड के 16-5-80 के पत्र में की गयी थी । लेखा सर्वगों की और पुनर्संरचना करने से, जिसमें 1200-2040 ₹ तथा 1400-2600 ₹ के वेतनमान में पदों का 20:80 का अनुपात में वितरित किया गया है, निम्न ग्रेडों के

...2...

3. As regards the demand for promotion of Appendix-II qualified Clerks against direct recruitment quota, it may be recalled that a limited dispensation was allowed in Board's letter No.PC-III-85/F&I/7 dated 1.4.86 as a one time exception. It will not be possible to allow any further dispensation in this regard as it will amount to deferment of direct recruitment wholly or partly for undefined periods.

Yours faithfully,


for Secretary, Railway Board.

Copy to E(LR)I with 60 spares.

कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों में भारी सुधार हुआ है । संवर्गों की पुर्नरचना करने की पद्धति एवं हाल ही में लागू किए गए चयनमानों में सुधार करने से , लि० ग्रे०-1 की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित मौजूदा प्रतिशत औचित्यपूर्ण है । इन परिस्थितियों में, बोर्ड के 16-5-80 के पत्र में अतिरिक्त आदेशों की आशयित करने की कर्मचारी पक्ष की मांग स्वीकार करना संभव नहीं है ।

3. जहाँ तक अपेडिक्स II में अर्हता प्राप्त लिपिकों की सीधी भर्ती के कोटे में पदोन्नत करने की मांग का संबंध है, पर ध्यान होगा कि बोर्ड के 1-4-86 के पत्र सं० पीसी-111/85/एफ ई-1/7 में एक बारगी अपवाद स्वयं एक सीमित बट दी गयी थी । इस संबंध में और बट देना संभव नहीं होगा क्योंकि इससे अनिश्चित अवधि तक सीधी भर्ती की पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अस्थगित करना पड़ेगा ।

भवदीय ,



कृते सचिव, लैबोरेटरी बोर्ड ।

प्रतिलिपि ई(एल आर)। को 60 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित ।